प्रकरण संख्या 1/2023 शंकरलाल बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.09.2023	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा अपने आदेश क्रमांक 2419–20 दिनांक 24.11.2022 द्वारा हाल अपीलान्ट शंकरलाल के पक्ष में औद्योगिक प्रयोजनार्थ किये गये आवेदन को निरस्त कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 02.01.2023 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा राजस्व ग्राम खेड़ी, तहसील कुराबड़ की आराजी नंबर 1607 से 1610 कुल किता 4 रकबा 0.7400 हैक्टर भूमि का ऑनलाईन औद्योगिक रूपान्तरण हेतु आवेदन मय दस्तावेज प्रस्तुत किया गया, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध दस्तावेजों को नजर अंदाज कर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे अपीलान्ट के साथ भारी अन्याय हुआ है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया। हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया कि ''आराजी नंबर 1607 से 1610 कुल किता 4 रकबा 0.7400 हैक्टर भूमि को औद्योगिक रूपान्तरण के सन्दर्भ में तहसीलदार कुराबड़ से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार सड़क से संपरिवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि पर पहुंचने हे[illegible]डड रास्ता उपलब्ध नहीं है।'' उक्त आधार पर अपीलान्ट का रूपान्तरण प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जबकि हमारे समक्ष अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं उनके अनुसार आराजी नंबर 1606	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:54:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 1/2023 शंकरलाल बनाम सरकार

रास्ता दर्ज है तथा यह भूमि जमाबन्दी में बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज है तथा प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार अपीलान्ट की आराजी नंबर 1607 से 1610 जिसके लिए उसके द्वारा रूपान्तरण चाहा गया है, आराजी नंबर 1606 से रास्ता होना दर्शा रखा है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.11.2022 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के दृष्टिगत तहसीलदार कुराबड़ से मौके पर रास्ते की स्थिति बाबत् जांच रिपोर्ट प्राप्त कर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.11.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:54:27 IST
Reason: SelfAttested